

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,

.....
विषयः— मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के क्रम में।

श्रीमान् जी,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी के माता/पिता श्री/श्रीमति को वेहावसान के कारण दिनांक को हो चुका है। प्रार्थी ने अपने पिता/माता की मृत्यु का पंजीयन नहीं करवाया है।

अतः श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पिता/माता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी के शपथ पत्र के संदर्भ में गवाहों के शपथ पत्र संलग्न हैं।

दिनांक

प्रार्थी

नामः—

पिता का नामः—

पताः—

.....
.....

शपथ—पत्र

मैं पुत्र श्री उम्र..... वर्ष
जाति..... निवासी..... तहसील

जिला (राज.) बहल्फ बयान करता हूं कि:—

1— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री को मैं अच्छी तरह से जानता हूं

2— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री के पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नि की मृत्यु दिनांक को हुई है।

3— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री का पड़ौसी हूं। उनके पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नि/माता की मृत्यु के समय में उपस्थित था।

4— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री की शवयात्रा मे मैं गया था।

शपथग्रहिता

मैं पुत्र श्री उम्र..... वर्ष जाति.....निवासी
..... तहसील जिला (राज.) बहल्फ बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र का मजमून मेरी जानकारी में सही व सच हैं। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:—

शपथग्रहिता

शपथ—पत्र

मैं पुत्र श्री उम्र..... वर्ष

जाति..... निवासी..... तहसील

जिला (राज.) बहल्फ बयान करता हूं कि:—

1— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री को मैं अच्छी तरह से जानता हूं

2— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री के पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नि की मृत्यु दिनांक को हुई है।

3— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री का पड़ौसी हूं। उनके पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नि/माता..... की मृत्यु के समय में उपस्थित था।

4— मैं बहल्फ बयान करता हूं कि श्री की शवयात्रा मे मैं गया था।

शपथग्रहिता

मैं पुत्र श्री उम्र..... वर्ष जाति.....निवासी
..... तहसील जिला (राज.) बहल्फ बयान
करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र का मजमून मेरी जानकारी में सही व सच हैं। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:—

शपथग्रहिता

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तूत किये जाने वाले शपथ पत्र

**(एक वर्ष बाद मृत्यु की सुचना देने पर)
शपथ पत्र (मृत्यु)**

शपथग्रहता / शपथ
ग्रहिता की
हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साइज फोटों।

मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वर्तमान आयु निवासी
(वर्तमान पूर्ण पता) (मृतक के सम्बन्ध लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं
कि:-

1. यह कि मृतक का नाम मृतक का लिंग मृत्यु की दिनांक मृत्यु के स्थान का पूर्ण पता मृत्यु स्थान का वार्ड नं. मृतक की माता का नाम, (मृतक के पिता/पति का नाम) मृतक का मृत्यु के समय का पता, शहर/गांव में हो गई है।
2. यह कि मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पतें के दस्तावेज सलंगन कर रहा/रही हूं।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कही भी किसी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कही दर्ज करवाउंगा/करवाऊंगी।

अंगुठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूं कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। ईश्वर साक्षी हैं।

अंगुठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिय गया है। जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 13 (3) एवं राजस्थान जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तूत किये जाने वाले शपथ पत्र

**(एक वर्ष बाद मृत्यु की सुचना देने पर)
शपथ पत्र (मृत्यु)**

शपथग्रहता / शपथ
ग्रहिता की
हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साइंज फोटों।

मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वर्तमान आयु निवासी
(वर्तमान पूर्ण पता) (मृतक के सम्बन्ध लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं
कि:-

1. यह कि मृतक का नाम मृतक का लिंग मृत्यु की दिनांक मृत्यु के स्थान का पूर्ण पता मृत्यु स्थान का वार्ड नं. मृतक की माता का नाम, (मृतक के पिता/पति का नाम) मृतक का मृत्यु के समय का पता, शहर/गांव में हो गई है।
2. यह कि मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पतें के दस्तावेज सलंगन कर रहा/रही हूं।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई हैं।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कही भी किसी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया हैं और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हैं ना ही भविष्य में कही दर्ज करवाउंगा/करवाऊंगी।

अंगुठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूं कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार असत्यता नहीं हैं। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती हैं तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। ईश्वर साक्षी हैं।

अंगुठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिय गया हैं। जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 13 (3) एवं राजस्थान जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता हैं कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर